संख्या-97 /328 मु0मं0न0सृ0यो0/9-2-2023-कम्प्यूटर सं0-1757267

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 06 दिसम्बर, 2023

विषय:- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित नगर निगम, वाराणसी, जनपद-वाराणसी को धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/393/28/मु0मं0न0सृ0यो0/डी.पी.आर/2023-24, दिनांक 25.10.2023 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी के पत्र सं0-325/मुख्य अभियन्ता/2023-24, दिनांक-19.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सीमा विस्तारित नगर निगम, वाराणसी, जनपद- वाराणसी को धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत सीमा विस्तारित नगर निगम, वाराणसी, जनपद- वाराणसी में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के विकास/सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के लेखाशीर्षक-2217-80-191-03-00 के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से सीमा विस्तारित नगर निगम, वाराणसी, जनपद- वाराणसी को तालिका में उल्लिखित कार्यो हेतु धनराशि रू0 1544.571 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस लाख सत्तावन हजार एक सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में सम्पूर्ण **धनराशि रू0 1544.571 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस लाख सत्तावन हजार एक सौ मात्र)** अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	दशाश्वमेध जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 3 फुलवरियां में डिफेंस कालोनी में बब्बन यादव के घर से संजय चैरसिया के घर होते हुये सुरेश यादव के आवास तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	31.33	31.33
2	दशाश्वमेध जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 3 फुलवरियां में डिफेंस कालोनी में अवध नारायन राय के आवास से रणजीत सिंह के अवास तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	13.909	13.909
3	दशाश्वमेध जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 52 लोहता में सुख्खू मौर्या के मकान से संतोष चैधरी के मकान होते हुये सबुआ तालाब से बदम के आवास तक वाया शिवदास मौर्या के आवास तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	34.908	34.908
4	वरूणापार जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 49 पिसौर मो0 भवानीपुर में सीमा पाण्डेय के मकान से विपुल राय के मकान तक एवं ई0 सुरेश राम के मकान से	30.799	30.799

	विकास मौर्या के मकान तक जलनिकासी एवं सी 0 सी 0 रोड़ निर्माण का कार्य।		
5	सारनाथ जोन अन्तगत वार्ड सं 0 8 दीनापुर अन्तर्गत कमौली मार्ग से बुनकर पावर लूम घासास केन्द्र कोटवां से श्याम नारायन पाल के घर तक कच्चे रास्ते पर सी 0 सी 0 रोड निर्माण व जल निकासी का कार्य।	12.767	12.767
6	वरूणापार जोन अन्तर्गत वार्ड सं 0 20 लोढ़ान मो 0 दान्दुपुर में विश्व ज्योति गुरूकुल ईसाई बंग्ला से फूलचंन्द यादव मकान होते हुये शिवधन यादव के मकान कावेरी लाॅन तक जल निकासी एवं सड़क निर्माण का कार्य।	38.52	38.52
7	वरूणापार जोन अन्तर्गत वार्ड सं 0 49 पिसौर मो 0 भवानीपुर नई बारी रमेश के मकान से आशा चैबे के मकान के आगे तक जल निकासी एवं सी 0 सी 0 रोड़ निर्माण कार्य।	6.658	6.658
8	वरूणापार जोन अन्तर्गत वार्ड सं 0 56 लालपुर मीरापुर बसहीं मो 0 बड़ालालपुर खुशहाल नगर कालोनी ब्लाक-ए लेन नं 0 12- ए एवं लेन नं 0-16 में शुम्भूनाथ तिवारी के मकान से संजय कुमार सिंह मकान प्रजापति भवन से संज मौर्या के मकान कैप्टन रमेश सिंह मकान होते हुये सुनील मिश्राा के मकान तक जल निकासी एवं सड़क निर्माण का कार्य।	69.174	69.174
9	वरूणापार जोन अन्तर्गत वार्ड सं 0 14 गनेशपुर प्रजापति बस्ती के अन्तर्गत गलियों में जल निकासी एवं सी 0 सी 0 रोड का निर्माण का कार्य।	81.226	81.226
10	सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं 0 17 संदहा अन्तर्गत रूस्तमपुर में यर्थात पुरम कालोनी से डीह बाबा मंदिर होते हुये प्राइमरी पाठशाला तक सी 0 सी 0 रोड निर्माण व जल निकासी का कार्य।	23.502	23.502
11	सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं 0 32 लेढ़ूपुर अन्तर्गत बलुआ मार्ग शितला माता मंदिर से पूर्व प्रधान के आवास होते हुये तिराहा तक सी 0 सी 0 रोड निर्माण व जल निकासी कार्य।	10.53	10.53
12	सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं 0 5 सलारपुर में सेवा मुक्ति हास्पिटल से श्री मदन प्रजापति के घर होते हुये मनोज कुमार के घर से मुरारी यादव के घर तक सी 0 सी 0 रोड निर्माण व जल निकासी का कार्य।	27.934	27.934
13	नवीन नगर निगम सीमा अन्तर्गत बड़ालालपुर खुशहाल नगर ब्लाक-ए लेन नं- 2 में सिन्धोरा मार्ग नटिनियादाई मन्दिर से सन्तोष कन्नौजिया देवेश सिंह मकान तक एवं सरोज कुमार , (मुन्ना चैबे) से चन्द्रमणि प्रधान तक पाइप डालकर जलनिकासी का कार्य।	113.212	113.212

14	सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 8 दीनापुर अन्तर्गत कोटवां हरीशंकर नगर कालोनी जितेन्द्र कुमार पटेल जी के आवास से पप्पू राजभर के आवास वाया मलिन बस्ती होते हुये आर0सी0सी0 नाला निर्माण कार्य।	37.612	37.612
15	सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 8 दीनापुर अन्तर्गत कोटवां हरिशंकर नगर कालोनी मे जितेन्द्र कुमार पटेल जी के आवास से पप्पू राजभर के आवास वाया मलिन बस्ती होते हुये सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	22.08	22.08
16	नवीन नगर निगम सीमा अन्तर्गत बड़ालालपुर खुशहाल नगर ब्लाक-ए लेन नं- 2 में मां अन्नपूर्णा जनरल स्टोर से राजेश उषा भवन तक के0सी0नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	48.565	48.565
17	ऋषि माण्डवी जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 39 सुसुवाही नुआवं में सुक्खु के घर से रमेश के घर होते हुये रामदुलार व अर्जुन के घर तक भूमिगत जल निकासी व सी0सी रोड का निर्माण कार्यं	49.974	49.974
18	ऋषि माण्डवी जोन अन्तर्गत करौंदी में सी0सी0 रोड स्थित माता प्रसाद कटरा से ईसा जनरल स्टोर होते हुये महेन्द्र पटेल के मकान व ट्रासफार्ममर तक गली निर्माण व जलनिकासी का कार्य।	115.049	115.049
19	भेलूपुर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 23 सीरगोर्धनपुर में नया सीमा विस्तार अशोकपुरम डाफी मुख्य मार्ग से कोका कोला गोदाम होते हुये एन0एच0-2 सडक तक सी0सी0 रोड के किनारे पटरी पर इण्टरला ॅकिंग व नाली निर्माण का कार्य।	158.794	158.794
20	रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं048 सूजाबाद में निजाम खां के घर से बी0 एल0 गुप्ता के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	20.815	20.815
21	रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 12 गोलाघाट में शिव नरायण प्रजापति के घर से बंदरगाह रोड तक सी0सी0 रोड का कार्य।	24.425	24.425
22	रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं048 सूजाबाद में राजकुमार के घर से राजेन्द्र साहनी के घर तक व सतीघाट रोड व गंगू साहनी के घर से मनोज के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	73.604	73.604
23	रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 12 गोलाघाट में डा0एस0वी0 के घर से पप्पू खां के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	22.57	22.57
24	रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 12 गोलाघाट में गुलाब के घर से फिरोज के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	21.958	21.958

25	रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 13 रामनगर में विशेष सोनकर के घर से गोविन्द सोनकर के घर तक व नन्दू साव क घर से आशीष मौर्या के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	29.134	29.134
26	सारनाथ जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 24 रमदत्तपुर गोईठहां में सत्यम नगर कालोनी में रौना बेला मार्ग से विवेक रंजन जी के घर होते हुये कामेश्वर महादेव मंदिर तक रोड निर्माण व जल निकासी का कार्य।	74.347	74.347
27	रामनगर जोन अन्तर्गत वार्ड सं0 13 रामनगर में सुरेश यादव के घर से ओम प्रकाश श्रीवास्तव के घर तक सी0सी0 रोड का कार्य।	26.403	26.403
28	भेलूपुर जोन के अन्तर्गत सन्त रविदास मन्दिर के पास से लौटूबीर बाबा की ओर जाने वाले मार्ग पर दोनों तरफ के0सी0 ड्रेन व आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य।	20	20
29	Street Lights Cabling work proposal at different Locations of existing electric poles under Extended Area (New Wards) Under CM-NSY	52.569	52.569
30	Street Lights Controller proposal at different Locations of existing electric poles under Extended Area (New Wards) Under CM-NSY	29.618	29.618
31	Development of Senior Care Center in Varanasi	207.292	207.292
32	1 % (ए0एण्डओ0ई0)	15.293	15.293
योग		**1544.571**	**1544.571**

(धनराशि रू0 - 1544.571 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस लाख सत्तावन हजार एक सौ मात्र)

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1.स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।
6. कार्यों की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
7. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
8. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से

तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

9. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निगम की होगी तथा निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

14. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

15. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित नगर आयुक्त तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

16. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा, तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

17. निगम द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत नियमानुसार निर्गत की जा रही धनराशि में निर्णयोपरान्त एक प्रतिशत ए0एण्ड0ओ0ई0 मद की धनराशि सम्मिलित निगम द्वारा प्रत्येक कार्य की लागत में यदि 03 प्रतिशत आई0ई0सी0 एवं ए0एण्ड0ओ0ई0 मद की धनराशि शामिल की गयी है, तो निगम को मात्र एक प्रतिशत ए0एण्ड0ओ0ई0 मद में व्यय करने की अनुमति है। शेष धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

18. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निगम को उपलब्ध करायी जाये।

19. निर्गत की जा रही धनराशि से निगम द्वारा तीन माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश संख्या-1489/नौ-9-2022-84ज/2022, दिनांक 08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यों की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

20. निगम द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में विस्तारित क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाये। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिलाधिकारी/मेयर/नगर आयुक्त की होगी।

21. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित नगर आयुक्त द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स् अपलोड किये जायेंगे।

22. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,44,57,100 (रुपये पंद्रह करोड़ चवालीस लाख सत्तावन हजार एक सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801910300 उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर निगमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव,

Digitally Signed by संजय कुमार तिवारी
Date: 06-12-2023 16:27:18
Reason: Approved

संख्या-२१५(1)/2023/328 मु0मं0न0सृ0यो0/9-2-2023-कम्प्यूटर सं0-1757267, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) मण्डलायुक्त, वाराणसी।
(7) जिलाधिकारी, वाराणसी।
(8) नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी, जनपद-वाराणसी।
(9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी),
अनु सचिव,